रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3
PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1987/ज्येष्ठ 6, 1909
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1987/JYAISTHA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय ... GOVT OF INDIA ... भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 1987

संकल्प

सं. 2(अ).—सशस्त्र सेनाओं के कमीशन अफसरों के वेतन और भत्तों की संरचना के बारे में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णय इस मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 1987 के संकल्प सं. 1-अ के अंतर्गत घोषित किए गए थे। उक्त संकल्प के साथ संलग्न विवरण की क्रम सं. 20 के सामने पनडुब्बी वेतन के बारे में सरकार का निर्णय निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए :

"इस संशोधन के साथ स्वीकृत की गई कि पनडुब्बी शाखा में कैप्टन के रैंक में तीन वर्ष से कम की सेवा वाले कैप्टन 1200/- रु. प्रति माह पनडुब्बी वेतन पाने के पात्र होंगे और वे कैप्टन जिन्होंने उस रैंक में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 900/- रु. प्रति माह पनडुब्बी वेतन पाने के पात्र होंगे।

वी. एन. बहादुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th May, 1987

RESOLUTION

No. 2(E).—The decisions of the Government of India on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to structure of emoluments and allowances of Commissioned Officers of the Armed Forces promulgated in this Ministry's Resolution No. 1-E, dated March 18, 1987. Against Serial No. 20 of the Statement annexed to the said Resolution relating to Submarine Pay, the decision of the Government may be read as under :—

"Accepted with the modification that Captains in Submarine Branch with less than three years service in that rank will be entitled to Submarine Pay of Rs. 1200 p.m. and Captains who have completed three years in that rank will be entitled to Submarine Pay of Rs. 900 p.m.".

V. N. BAHADUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987